(वाद सं0– BHRC/Comp.4104/2016)

28.06.2022

प्रसंगाधीन मामला, चकाई थाना कांड संख्या–65/15 की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने से संबंधित परिवादी, नारायण यादव, के परिवाद से संबंधित है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, जमुई से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, झाझा के प्रतिवेदनानुसार ‘‘प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानकर्त्ता पु0अ0नि0, रामछबिला शर्मा एवं अन्वेषणकर्त्ता उपेन्द्र कुमार, तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ–साथ मृत कोल्हा यादव, के विरूद्ध भी कांड में उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया, जो सर्वथा अनुचित है। प्रतिवेदनानुसार, उक्त दोनों पुलिस पदाधिकारियों द्वारा थाना पर बैठे–बैठे ही थाना अभिलेख के आधार पर अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण किया प्रतीत होता है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में दोषी दोनों पुलिस पदाधिकारियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने तथा प्राथमिकी को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

परिवादी के उपरोक्त प्रत्युत्तर में पुनः पुलिस अधीक्षक, जमुई से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानकर्त्ता, रामछबिला शर्मा, से प्रभार लेकर नीलमणि कुमार, को सौंप दिया गया था तथा बाद में नीलमणि कुमार, के स्थानान्तरणोंपरांत, पु0 नि0, उपेन्द्र कुमार, को सौंप दिया गया है तथा कांड वर्तमान में अनुसंधानान्र्तगत है।

पुनः परिवादी से इस संबंध में प्रत्युत्तर की माँग की गई। परिवादी द्वारा अपने नवीन प्रत्युत्तर में दोषी पुलिस पदाधिकारियों से क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य आयोग द्वारा दिनांक–08.07.2021 को पुलिस अधीक्षक, जमुई से 06 (छह) वर्ष से भी अधिक समय से प्रसंगाधीन कांड के अन्वेषणान्तर्गत रहने पर क्षोभ व्यक्त करते हुए इस संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, जमुई द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार, प्रसंगाधीन कांड में कुल 14 (चौदह) नामांकित अभियुक्तों की संलिप्तता को सत्य पाकर उनके विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है, जिसमें तथाकथित मृत कोल्हा यादव, का नाम नहीं है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले में अन्वेषणोंपरान्त आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, जमुई के प्रतिवेदन (पृष्ठ 65–60/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक